अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या– 53/1999
हरिश चन्द्र मुण्डा एवं अन्य
वनाम
जोएल सिंह हो एवं 4 अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद दिनांक–30.09.1999 को 1. हरिश चन्द्र मुण्डा (हो), 2. कैरा मुण्डा (हो), दोनों का पिता– स्व० मागो मुण्डा, ग्राम– बुनुमलता, परगना– कोल्हान, पीढ़– भरभरिया, थाना– मंझारी, पो०– गितिलपी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम Schedule-A में वर्णित भूमि के एवज में प्रतिवादी संख्या 1. जोएल सिंह हो , पिता– स्व० खुरदद हो, 2. कैरा हो, पिता– स्व० चन्द्रगुप्त सिंह हो, 3. जोगना कुई, पति– स्व० मंगल सिंह हो, 4. चन्द्रशेखर हो, 5. जावन हो, 6. माइनर कैरा हो, तीनों के पिता– स्व० मंगल सिंह हो के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से दोनों पक्षों की ओर से पैरवी नहीं करने के कारण इस न्यायालय के पत्रांक– 102/न्या० दिनांक– 25.11.2021 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए उभय पक्षों से नोटिस तामिला कराने हेतु अंचल अधिकारी, मंझारी को भेजा गया। जिसके उपरांत तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन दिनांक– 23.12.2021 को सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को दोनों पक्षों के द्वारा सुल्हनामा आवेदन पत्र दाखिल कर अनुरोध किया गया है की हम दोनों पक्षों में सुलह हो गया है। इस वाद को अब हम लोग नहीं लड़ना चाहते हैं। सुल्हनामा आवेदन में वादी एवं प्रतिवादी अपने सहमति से हस्ताक्षर किया गया है। उभय पक्ष ने यह भी वयान दिया है कि न्यायालय में भविष्य में इस मामलें को दावा नहीं करूँगा।

अतः उभय पक्षों द्वारा दाखिल सुल्हनामा के आधार पर इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

23.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.02.02 12:25:37 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner